

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2014—आश्विन 24, शक 1936

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“34 धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में प्रवेश के लिए, प्रवेश शुल्क और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तें:—

1. **प्रवेश अनुज्ञा पत्र.**—(1) धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के अनुसार इन नियमों में यथाविहित शर्तों के अधीन और ऐसे शुल्क के भुगतान पर, जो कि विहित किया जाये, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश अनुज्ञा पत्र के बिना किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में प्रवेश नहीं करेगा.

(2) प्रवेश अनुज्ञा पत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा एक बार प्रवेश के लिए या उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य होगा.

2. **प्रवेश.**—(1) राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात्:—

- (एक) वन्य जीवों का अध्ययन या अन्वेषण और उसके आनुषंगिक प्रयोजन;
- (दो) वैज्ञानिक अनुसंधान;

- (तीन) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;
- (चार) टाइगर रिजर्व के बफर जोन में या राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों की मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की अध्ययन यात्रा अथवा ईको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्रा;
- (पांच) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, अनुदेशकों और सहायक कर्मचारिवृंद की प्राधिकृत अध्ययन यात्रा; और
- (छः) अपने अभिभावकों के साथ भ्रमण कर रहे 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश.

(2) नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (चार) के अन्तर्गत न आने वाले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्रों को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी बशर्ते ऐसी प्राधिकृत अध्ययन यात्राओं की पूर्व सूचना दी गई हो. यह सुविधा किसी संस्थान की पूरे पर्यटन वर्ष अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक की खुली अवधि में केवल एक बार एक यात्रा हेतु दी जाएगी.

(3) विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को निर्धारित धारण क्षमता की सीमाओं के भीतर निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी.

(4) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में विकलांग या गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को पैदल अथवा साइकिल से भ्रमण करने पर प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उन्हें छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवेश द्वार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(5) नियम 2 (1) (एक), (दो) या (तीन) में वर्णित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं पात्रता का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पृथक् से किया जाएगा.

3. पर्यटन या फोटो चित्रण के प्रयोजनों के लिए प्रवेश अनुज्ञा पत्र की शर्तों और प्रवेश शुल्क की दरें नीचे दी गई सारणी में विहित किए गए अनुसार होंगी:—

सारणी-1

अनु क्र.	प्रवेश का प्रयोजन	टाइगर रिजर्व/संरक्षित क्षेत्र	दो पहिया* वाहन		हल्के वाहन (जीप/कार/जिप्सी) 8 व्यक्तियों तक		मिनी बस*** (9 से 20 व्यक्तियों तक) **	
			भारतीय के लिए	विदेशी के लिए	भारतीय के लिए	विदेशी के लिए	भारतीय के लिए	विदेशी के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	वाहन से वन्य जीव दर्शन (प्रति राउंड).	कोर क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) संजय टाइगर रिजर्व तथा पृथक् से अन्य वर्णित किए गए व्यू पाइंट्स को छोड़कर.	—	—	1200	2400	5000	10000
		संजय टाइगर रिजर्व और अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर).	—	—	600	1200	1600	3200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	वाहन से विशिष्ट स्थलों के दर्शन.	पचमढ़ी व्यू पाइंट्स, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल, केन घड़ियाल अभ्यारण्य में रनेह फॉल, अन्य ऐसे स्थल जो संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए जाएं.	150	300	600	1200	1500	3000
			100	200	450	900	1000	2000

टीप.—

- * जहां संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऑटो रिक्शा के प्रवेश की अनुमति दी जाए, वहां उसका प्रवेश शुल्क दो पहिया वाहन के प्रवेश शुल्क की दर से दोगुना होगा.
- ** जब किसी मिनी बस में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक है तो, ऊपरवर्णित दरों के अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त भारतीय दर्शक को 100 रुपये प्रति व्यक्ति तथा विदेशी दर्शक को 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क देय होगा किन्तु उनकी संख्या वाहन की कुल बैठक क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए.
- *** वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 50 सीटों वाली बस अनुज्ञात की जाएगी तथा भारतीय दर्शकों से 2000 रुपए तथा विदेशी दर्शकों से 4000 रुपये प्रभारित किए जाएंगे.

सारणी-2

अनु क्र.	प्रवेश का प्रयोजन	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य स्थल	भारतीय नागरिक	विदेशी नागरिक	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	किसी विशिष्ट स्थल के पैदल दर्शन.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी व्यू पाइंट्स, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, भीमबैठका (रातापानी अभ्यारण्य) और अन्य ऐसे स्थल जो राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं.	50	100	प्रति व्यक्ति
2	ट्रैकिंग (पैदल लंबा भ्रमण)/साइकिलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर).	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अन्य राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य.	100 250	200 500	प्रति व्यक्ति, प्रति दिन प्रति व्यक्ति, प्रति दिन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	कैंपिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गये परिसरों में).	समस्त राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य.	1000	2000	प्रति व्यक्ति, प्रति रात्रि. इस दर में विनिर्दिष्ट मार्ग पर ट्रेकिंग/ साइकिलिंग सम्मिलित है. कैंप स्थल तक आगमन एवं वहां से प्रस्थान केवल पर्यटन अवधि में ही अनुज्ञेय होगा.
4	विनिर्दिष्ट हाइड (hide)/ मचान/वाँच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन.	कोर क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य.	500	1000	स्थल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी भी स्थल पर व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकेगी.
5	संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए वाहन से वन्य प्राणी दर्शन.	बैटरी चलित वाहन (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामंडल अभ्यारण्य). अन्य वाहन, जब उपलब्ध हों (समस्त राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य).	50	250	प्रति व्यक्ति, प्रति राउंड प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त, यदि भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में पर्यटक उपलब्ध हों. प्रति व्यक्ति, प्रति राउंड यदि भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में पर्यटक उपलब्ध हों.

सारणी-3

अनुक्रमांक	प्रवेश का प्रयोजन	क्षेत्र/स्थल	मासिक शुल्क	वार्षिक शुल्क	आजीवन शुल्क	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सुबह की पैदल सैर या साइकिलिंग.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य मार्ग पर.	100	1000	15000	प्रति व्यक्ति, संचालक या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमित प्रवेश पास जारी किए जाएंगे.

- (4) ऊपर वर्णित दरें पर्यटन वर्ष 2014-15 के लिए लागू होंगी. ये दरें आगामी 3 वर्ष के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष (पूर्णांकों में) बढ़ाई जाएंगी.
- (5) यदि एक वाहन में मिश्रित राष्ट्रीयता के व्यक्ति यात्रा कर रहे हों तो विदेशियों के लिए लागू दरें लागू होंगी.
- (6) प्रवेश अनुज्ञा पत्र रद्द कराए जाने की दशा में प्रक्रिया शुल्क के साथ टिकट की राशि का 50 प्रतिशत कटौती किया जाएगा.
- (7) चालक और गाइड/नेचुरलिस्ट की गणना यान में अनुज्ञात सवारियों की संख्या में की जाएगी.
- (8) अनुज्ञा प्रमाण-पत्रों में सूचीबद्ध सभी पर्यटकों के पहचान प्रमाण-पत्र रखना अनिवार्य होगा. यदि उसमें वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित न की जा सकती हो तो प्रत्येक अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया जाएगा.

- (9) एक राउन्ड की अवधि संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी.
- (10) पर्यटकों को ऐसे नियत किए गए राउन्ड के दौरान अपने स्टिल अथवा वीडियो कैमरे निःशुल्क उपयोग करने की अनुज्ञा होगी.
- (11) यदि कोई व्यक्ति वाहन द्वारा किसी राउन्ड के लिए प्रवेश शुल्क का पूर्ण भुगतान कर देता है तो उससे किसी विशिष्ट स्थल जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पांडव और रनेह फॉल पैदल या वाहन द्वारा देखने के लिये कुछ भी अतिरिक्त प्रभारित नहीं किया जाएगा.
- (12) पर्यटन के लिये खुले रखे जाने वाले मार्गों और इन मार्गों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या का विनिश्चय, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा.
- (13) यदि आवश्यक हो तो संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी धारा 28 (1) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिये किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बन्द क्षेत्र या मार्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा.
- (14) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उन वाहनों की फिटनेस के मानक विनिश्चित कर सकेगा जो संरक्षित क्षेत्र में अनुज्ञात हों. वह किसी श्रेणी के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेगा.
- (15) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उन वाहन चालकों और वाहनों का जो नियमित रूप से दर्शकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में लाते हों, रजिस्ट्रीकृत करने का उपबंध कर सकेगा. गैररजिस्ट्रीकृत वाहन या गैररजिस्ट्रीकृत चालक के साथ रजिस्ट्रीकृत वाहन के लिए प्रवेश शुल्क वैसी ही क्षमता वाले वाहन के नियमित शुल्क से दोगुना होगा.
- (16) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिए जहां ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा है, यदि वाहन में रिक्त स्थान उपलब्ध है तो पहले से बुक किए गए टिकटों पर, अतिरिक्त दर्शकों के नाम ऑनलाइन अथवा प्रवेश द्वार पर इस शर्त पर जोड़े जा सकेंगे कि जोड़े गये प्रत्येक नए नाम के लिए भारतीय दर्शकों के लिए 1,200 रुपए और विदेशी दर्शकों के लिए 2,400 रुपए प्रभारित किए जाएंगे. कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रीमियम जोन के लिये ये दरें 1.5 गुनी और 2 गुनी होंगी. उद्यान के भ्रमण के दौरान उस प्रथम दर्शक की उपस्थिति अनिवार्य होगी जिसके नाम पर प्रारंभ में टिकट बुक किया गया था. रद्द किया गया अनुज्ञा पत्र ऑनलाइन बुकिंग के लिए दोबारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और इसे चालू बुकिंग के लिए द्वार पर अंतरित कर दिया जाएगा.
- (17) भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में भ्रमण करने के लिये भारत के रजिस्ट्रीकृत ऑवरसीज नागरिकों से वही शुल्क प्रभारित किया जाएगा जो घरेलू भारतीय दर्शकों से किया जाता है.

4. वीडियो/फिल्मांकन/चित्रांकन/फोटो ग्राफी.—(1) टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में वीडियो/फिल्मांकन/चित्रांकन/फोटो ग्राफी की अनुज्ञा, क्षेत्र संचालक द्वारा कैमरामैन के नाम से दी जाएगी. जिसके लिए निम्नलिखित सारणी के अनुसार शुल्क देय होगा:—

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान; भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान	भारतीय नागरिक और भारत के अन्य संस्थान	विदेशी नागरिक और संस्थान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रथम सात दिन तक	10,000	20,000	40,000	प्रति कैमरामैन प्रति दिन
आठवें दिन से 15वें दिन	7,500	15,000	30,000	
सोलहवें दिन से आगे	5,000	10,000	20,000	

(2) अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में वीडियो/फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा उस संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा दी जाएगी जिसके लिए उपरोक्त उपनियम (1) में वर्णित शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा.

(3) यह दरें केवल तब लागू होंगी जब फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिये निर्धारित समय के बाद तथा साधारण पर्यटकों के लिए मार्गों से हटकर मांगी जाती हैं। यह शुल्क फिल्मांकन/फोटोग्राफी के पूरे समय के लिये अग्रिम देय होगा। वीडियो/फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी की पूरी अवधि के लिए शुल्क अग्रिम देय होगा। यह अनुज्ञा साधारणतः खुले सीजन के लिये जारी की जाएगी और यह अंशतः भी हो सकती है। मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक की पूर्व अनुज्ञा से फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए प्रवेश की अनुज्ञा विशेष कारणों से बंद अवधि के दौरान भी दी जा सकेगी।

(4) कैमरामेन से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है। उसे सहायता करने के लिए एक बार में दो व्यक्ति अनुज्ञात किये जा सकेंगे किन्तु उन्हें फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा नहीं होगी। तीन व्यक्तियों की इस टीम से पृथक् से कोई प्रवेश शुल्क भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(5) किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य में वीडियो/फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा साधारणतया केवल प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्य जीव अथवा क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास की रिकार्डिंग करने के लिए ही दी जाएगी। तथापि, सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य कारण से भी ऐसे कार्य की अनुज्ञा दे सकेगी बशर्ते कि इससे पर्यावरण अथवा क्षेत्र के वन्य जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। इस अनुज्ञा के लिए विशेष दरें प्रभारित की जाएंगी जो किसी भी दशा में, यथास्थिति उपरोक्त नियम 3 के उपनियम (1) और (2) में विहित दर से पांच गुने से कम नहीं होगी।

(6) वन विभाग द्वारा बनाई जाने वाली अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से बनवाई जाने वाली वन्य जीवन आधारित ऐसी वीडियो/फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा जिनका उपयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा के प्रयोजन का विस्तार अथवा संरक्षण के लिए किया जाना है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा की जा सकेगी। जिसके लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। ऐसी फिल्मों पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

5. हाथी पर भ्रमण.—(1) पर्यटन के लिए.—हाथी पर महावत के अलावा एक बार में केवल चार व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। 5 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता/अभिभावकों के साथ निःशुल्क अनुज्ञात किया जाएगा। हाथी से भ्रमण हेतु मार्गों तथा नियमों का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हाथी की सवारी की अवधि एक घंटा होगी, जिसके लिए प्रतिव्यक्ति निम्नानुसार शुल्क देय होगा:—

भारतीय दर्शक	रु. 750
विदेशी दर्शक	रु. 1,500

(2) वीडियो/फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी के लिए.—ऐसे कैमरामेन की मांग पर जिसने कि इन नियमों के नियम 3 के अधीन वीडियो/फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा प्राप्त की है, उपलब्ध होने पर, प्रति हाथी प्रति तीन घंटों के लिए निम्नलिखित शुल्क का भुगतान कर दिये जाने पर तीन घंटों के लिए हाथी दिया जा सकेगा:—

भारतीय शैक्षणिक अथवा अनुसंधान संस्थान तथा भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभागों और संस्थाओं के लिए :	रु. 6,000/-
अन्य सभी	
भारतीय दर्शक	रु. 12,000/-
विदेशी दर्शक	रु. 24,000/-

6. नौकायन.—(1) ऐसे समस्त संरक्षित क्षेत्रों में, जहां उनके किन्हीं जलाशयों/नदियों/जलनिकायों में नौकायन की संभावना हो विभिन्न प्रकार की नौकायन गतिविधियों के लिये शुल्क तथा नौकायन संचालन के नियम संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से विनिश्चित किए जाएंगे।

(2) केवल राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में मोटर चलित नौका से प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे नौकायन हेतु नियमानुसार शुल्क देय होगा:

भारतीय नागरिक	रु. 100/-
विदेशी नागरिक	रु. 200/-

7. **स्थानीय गाइड एवं नेचुरलिस्ट.**—(1) किसी संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन और फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजनों के लिये प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु उनके साथ संचालक/क्षेत्र संचालक/वन वृत्त का भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पंजीकृत स्थानीय गाइड या नेचुरलिस्ट अनिवार्य रूप से जाएगा. स्थानीय गाइड या तो वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों का हो, जिनमें संरक्षित क्षेत्र स्थित है और सामान्यतः वहां निवास करता हो जहां राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य स्थित हों अथवा मध्यप्रदेश राज्य का कोई सेवानिवृत्त वन अधिकारी/उच्च श्रेणी के गाइड को नेचुरलिस्ट के रूप में पदाभिवृत्त किया जाएगा. गाइडों की श्रेणियां, अर्हताएं एवम् उन्हें देय पारिश्रमिक निम्नानुसार होगा:—

(2) **गाइड एवं नेचुरलिस्ट के लिए न्यूनतम अर्हताएं.**—(एक) नेचुरलिस्ट श्रेणी एन-1 : स्नातक, अंग्रेजी फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी वन्य प्राणी, पक्षी, पौधा, तितली एवं सांप प्रजातियों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, वन एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार का ज्ञान, वन्यप्राणियों के रास्तों एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्य प्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं वर्तमान वन्य प्राणी आंकलित संख्या का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटन नियमों तथा राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों में 'क्या करें तथा क्या न करें' की जानकारी, उनके भूगोल एवं भू-आकृति का ज्ञान क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव.

(दो) **नेचुरलिस्ट श्रेणी एन-2.**—स्नातक, अंग्रेजी, फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी वन्य प्राणी एवं पक्षी प्रजातियों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान, अन्य समूहों के प्राणियों और पौधों का सामान्य ज्ञान तथा उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, वन एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों के रास्तों एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्य प्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं वर्तमान वन्य प्राणी आंकलित संख्या का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटन नियमों तथा राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों में 'क्या करें तथा क्या न करें' की जानकारी, उनके भूगोल एवं भू-आकृति का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान; प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव.

(तीन) **गाइड श्रेणी जी-1.**—12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान, सभी स्तनधारी वन्यप्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों में के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणियों के रास्तों एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्य प्राणी आंकलन प्रक्रिया एवं वर्तमान वन्य प्राणी आंकलित संख्या का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटन नियमों, राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों में 'क्या करें तथा क्या न करें' की जानकारी, उनके भूगोल एवं भू-आकृति का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव.

(चार) **गाइड श्रेणी जी-2.**—वन्यप्राणियों का ज्ञान, वन में मार्गों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य प्राणी व्यवहार एवं रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटन नियमों, 'क्या करें तथा क्या न करें' की जानकारी, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा.

(3) **नेचुरलिस्ट/गाइड के लिये शुल्क.**—नेचुरलिस्ट/गाइड की सेवाएं लेने हेतु निम्नांकित शुल्क देय होगा:—

क्रमांक	श्रेणी	नेचुरलिस्ट/गाइड शुल्क (रु.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैंपिंग (एक दिन व दो रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एन-1	1,000	3,000	6,000
2	एन-2	750	1,500	3,000
3	जी-1	400	900	1,800
4	जी-2	300	700	1,400
5	कुली	—	400	800

(4) पूरे दिन के लिए नेचुरलिस्ट/गाइड लिए जाने पर उन्हें ट्रेकिंग/साइकिलिंग हेतु नियत शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(5) विशेष दर्शनीय स्थानों पर नेचुरलिस्ट/गाइड लिए जाने के लिए शुल्क.—केन घड़ियाल अभयारण्य के रनेहफाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पांडव फाल आदि स्थानों के लिये जहां कि गाइड की सेवाएं अल्प अवधि के लिए ली जाती हैं, संबंधित संरक्षित मैनेजर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आनुपातिक दरें नियत करेगा।

8. पर्यटन वर्ष की प्रतिषिद्ध व खुली अवधि.—(1) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, राला मंडल अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फाल, केन घड़ियाल अभयारण्य में रनेहफाल, पचमढ़ी स्थित दर्शनीय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभयारण्य), रातापानी अभयारण्य में भीमबैठका, बरूंसोत व देलावाड़ी में वर्ष की कोई अवधि बंद नहीं होगी। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में एक जुलाई से पन्द्रह अक्टूबर तक की अवधि में पर्यटन या फोटोचित्रण के प्रयोजन से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा एवं वर्ष की शेष अवधि पर्यटन एवं फोटोचित्रण के प्रयोजन से खुली रहेगी।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में वाहन से भ्रमण की अनुमति केवल सूर्योदय से आधा घंटे पूर्व से एवं सूर्यास्त के आधा घंटे बाद तक के लिए ही दी जाएगी। प्रवेश एवं बाहर आने का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

9. विशेष शुल्क.—संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से पर्यटक यातायात के परिणामस्वरूप वन्य जीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कम-से-कम दो माह की पूर्व सूचना देने के उपरान्त लिखित आदेश से किसी भी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्र/मार्ग या गतिविधि पर विशेष दरों पर शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

10. पर्यटन से होने वाली आय का स्थानीय समुदायों से साझा किया जाना.—चूंकि टाइगर रिजर्व तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों में प्रारंभिक रूप से पर्यटन वन्य जीव संसाधनों के गैर उपभोग से प्रभावित होता है और स्थानीय समुदायों को मांसाहारियों द्वारा पशुओं की लूटपाट तथा जंगली शाकाहारियों द्वारा फसलों के नुकासन के रूप में संरक्षण की कीमत आय में कमी के रूप में चुकाना पड़ती है। एक वर्ष में उस संरक्षित क्षेत्र में विकास निधि में जमा की गई पर्यटन की समस्त प्राप्तियों का एक तिहाई उस संरक्षित क्षेत्र की ईको विकास समितियों से साझा किया जाएगा।

11. विविध.—(1) कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि जिसका इस नियम में उल्लेख नहीं है या उल्लेख होने के बावजूद प्रबंधन की दृष्टि से अब तक अप्रारंभ है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म. प्र. की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकेगी। किन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आंकलन कर उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए।

(2) संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण क्षेत्र की धारण क्षमता के आधार पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, ट्रेकिंग, कैपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्-पृथक् धारण क्षमता का भी निर्धारण करेगा।

(3) वन्य प्राणी संरक्षण या प्रबंधन की दृष्टि से अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष या सभी व्यक्तियों के प्रवेश, भ्रमण अथवा उनके द्वारा किसी मार्ग या स्थल विशेष का उपयोग संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(4) फिल्मांकन, नौकायन, वाहन से वन्य जीव दर्शन हाथी पर भ्रमण, ट्रेकिंग, नेचर ट्रेल, कैपिंग एवं हाइड/मचान/वाँच टॉवर, आदि के उपयोग या भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली नई पर्यटन गतिविधियों के लिये विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए जा सकेंगे जो इन नियमों का भाग होंगे।

(5) राज्य शासन के विशिष्ट अनुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर कोई सभा, सम्मेलन, बैठक आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध म. प्र. राज्य वन्य प्राणी मंडल, मध्यप्रदेश राज्य के वन विभाग के अधिकारियों

की बैठकों, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा वन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा कार्यशालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा।

(6) संरक्षित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर, चार्ट, आदि प्रदर्शित करना, चिपकाना, परिनिर्मित करना निषिद्ध होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात, चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुँचाएगा अथवा उसे विकृत नहीं करेगा।

(8) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(9) पर्यटन या फिल्मांकन/फोटोग्राफी के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिये स्पॉटलाइट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

(10) (क) सक्षम प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने किसी प्रयोजन के लिये संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश लिया हो और किसी नियम, विनियम, अनुज्ञा पत्र की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया हो, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा किन्हीं अन्य विधिक उपबंधों के अनुसार विधिक कार्यवाही कर सकेगा, संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उसके प्रवेश अनुज्ञा पत्र की शेष अवधि के लिए उसके प्रवेश को या तो अंशतः या पूर्णतः प्रतिबंधित भी कर सकेगा।

(ख) कैमरामेन अथवा फोटोग्राफी/फिल्मांकन टीम के उसके सहायक द्वारा कोई उल्लंघन, किया जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा की गई किसी विधिक कार्रवाई के अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञा की शेष अवधि को कुछ अथवा पूर्ण अवधि के लिये प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(ग) पंजीकृत वाहन/नौका के चालक/नाविक द्वारा और उसमें उपस्थित नेचुरलिस्ट/गाइड द्वारा कोई उल्लंघन किए जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के साथ-साथ अन्य विधिक कार्रवाइयों के अतिरिक्त प्रथम उल्लंघन की दशा में, उनका प्रवेश, साथ ही उनके वाहन/नौका का प्रवेश सात दिन के लिए, दूसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, एक मास के लिए और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, शेष पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से 30 जून आगामी वर्ष) के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा। ऐसे पंजीकृत वाहन/नौकाएं और उनके चालक/नाविक तथा नेचुरलिस्ट/गाइडों का प्रवेश जो पिछले दो वर्ष के दौरान तीन बार दंडित किए जा चुके हों, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में आगामी दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(घ) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी आदतन उल्लंघनकर्ता को या घोर कदाचार अथवा नियमों के भंग में लिप्त किसी व्यक्ति को संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(ङ) इस उपनियम के अधीन प्रवेश प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्यवाही प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

(11) शुल्क का निर्धारण करने के संबंध में नेपाल के नागरिकों को भारतीय नागरिकों के समान समझा जाएगा।

(12) दीपावली तथा होली के शासकीय अवकाशों पर समस्त संरक्षित क्षेत्र पर्यटन और वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उन अन्य दिनों का जिनको कि पर्यटन और वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए संरक्षित क्षेत्र बंद रहेंगे। विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।”

No. F. 14-82-1988-X-2.— In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for Rule 34, the following rule shall be substituted, namely:-

“34. Entry fee and conditions of entry permit under Section 28 for entry into National Parks and Sanctuaries:

1. Entry Permit.—(1) No person shall enter any National Park or Sanctuary for the purposes mentioned under sub-section (1) of Section 28 without a valid permit issued by Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh or by an officer authorized by him for this purpose, as per the conditions and on payment of such fees as prescribed in these rules as per sub-section (2) of Section 28 of the said Act.

(2) Entry permit is individual, non-transferrable and valid for entry for one time or for the period mentioned in the entry permit.

2. Entry.— (1) No entry fee shall be charged for entry in National Parks and Sanctuaries for following purposes, namely:—

- (i) study or investigation of wildlife and its ancillary objectives;
- (ii) scientific research;
- (iii) transaction of lawful business with any person residing in the National Park or Sanctuary;
- (iv) authorized study tours of the students of recognized educational institutions of the villages situated in the buffer zones of the tiger reserves and within 5 km boundary of National Parks and Sanctuaries or the authorized study tours of the members of Eco-Development Committees;
- (v) authorized study tours of the students, trainees, instructors and support staff of training and research institutes of Government of India, Ministry of Environment and Forest or Forest Departments of various states; and,
- (vi) entry of children upto 5 years of age visiting with their parents.

(2) 50 percent rebate in the regular entry fee shall be given to the students of recognized educational institutes not covered under clause (iv) of sub-rule (1) of rule 2, provided prior intimation is given for such authorized study tours. This facility for an institution will be provided only once for one round during the open period of entire tourism year that is 1st July-30th June.

(3) Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh or the officer in-charge of the protected area can give permission for free entry to any person or a group under special circumstances, within the limits of maximum carrying capacity.

(4) Handicapped persons and the persons below poverty line visiting Van Vihar National Park by foot or by bicycle shall be given 50% rebate in the entry fee. They will have to produce certificate issued by the Competent Authority at the entry gate to avail the rebate.

(5) Eligibility and conditions of entry permits for the purposes mentioned in sub-rule 2 (1) (i), (ii) or (iii) shall be ascertained separately by the Chief Wildlife Warden based on the requirements of a particular protected area.

3. Entry fee and conditions.—Rates of entry fee as specified in the table and conditions of entry permits for the purposes of tourism or photography shall be as follows :—

TABLE-1

S.No.	Purpose of Entry	Tiger Reserve/ Protected Area	Two Wheeler *		Light Vehicles (Jeep, Car, Gypsy) (up to 8 persons)		Minibus *** (9 to 20 persons)**	
			Indian	Foreigners	Indian	Foreigners	Indian	Foreigners
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Viewing wildlife by Vehicles (Per Round)	Core Areas of Tiger reserves except Sanjay Tiger Reserve and view points mentioned separately	-	-	Rs. 1200	Rs. 2400	Rs. 5000	Rs. 10000
		Sanjay Tiger Reserve and Other National Parks or Sanctuaries (except Van Vihar National Park).	-	-	Rs. 600	Rs. 1200	Rs. 1600	Rs. 3200
2	Visiting Specific Spots by Vehicles	Pachmarhi View Points	Rs. 150	Rs. 300	Rs. 600	Rs. 1200	Rs. 1500	Rs. 3000
		Van Vihar National Park, Pandhav Fall in Panna National Park, Raneh Falls in Ken Gharial WLS, and any other spots earmarked by the in-charge of protected area)	Rs. 100	Rs. 200	Rs. 450	Rs. 900	Rs. 1000	Rs. 2000

Note:—

* Where entry of auto-rickshaw is permitted by the officer in-charge of the protected area, the entry fee for an auto-rickshaw shall be two times the rate of two-wheelers.

** When the number of persons is more than 20 in a minibus, the entry fee of Rs. 100 per person for Indian visitors and Rs. 200 per person for foreign visitors shall be payable for extra persons in addition to the rates mentioned above, but their numbers should not exceed the total seating capacity of the vehicle.

*** In Van Vihar National Park 50 seater bus will be allowed and entry fee of Rs. 2000 for Indian visitors and Rs. 4000 for foreign visitors shall be charged.

TABLE-2

S.No. (1)	Purpose of entry Sanctuary/Spot (2)	National Park/ Citizens (3)	Indian (4)	Foreigners (5)	Remarks (6)
1	Visiting a Specific Spot on Foot	Van Vihar National Park; Pachmarhi View Points; Fossil National Parks, Bhimbetka (Ratapani Sanctuary) and other such places which may be specified by the officer incharge of National Park or Sanctuary.	Rs. 50	Rs. 100	Per person
2	Trekking/Cycling (on specified routes earmarked by the officer in-charge of the protected area)	Van Vihar National Park Other National Parks and Sanctuaries.	Rs. 100 Rs. 250	Rs. 200 Rs.500	Per person per day Per person per day
3	Camping (Only in the premises earmarked by the officer in-charge of the protected area)	All National Parks and Sanctuaries.	Rs.1000	Rs. 2000	Per person per night. The rate includes trekking / cycling on designated routes. Arrival at and departure from the camp site shall be allowed only during normal tourism hours.
4	Wildlife Viewing from specified Hide/Machan/ Watch Tower	Core Areas (Tiger Reserves) Other National Parks and Sanctuaries.	Rs. 500 Rs. 250	Rs. 1000 Rs. 500	Officer in-charge of the protected area can limit the number of persons at any spot according to the sensitivity of the site.
5	Wildlife viewing by Government vehicle (Minibus) made available by the protected area management	Battery operated vehicle (Van Vihar National Park; Ralamandal Sanctuary) Other Vehicles, wherever available (all National Parks and Sanctuaries).	Rs. 50 Rs. 250	Rs. 100 Rs. 500	per person/ per round in addition to the entry fee if minimum number of visitors, as decided by the officer in-charge are available. per person/ per round if minimum number of visitors, as decided by the officer in-charge, are available.

TABLE-3

Sr. No.	Purpose of entry	Area/Spot	Monthly Fee	Annual Fee	Lifetime Fee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Morning walk or Cycling.	On the main road of Van Vihar National Park.	Rs. 100	Rs. 1000	Rs. 15000	Per person. Regular entry pass will be issued by the Director or an officer authorized by him for this purpose.

- (4) Rates mentioned above will be applicable for the tourism year 2014-15. These rates will be increased by 10 percent every year (in round figures) for next three years.
- (5) Rates for foreigners shall be applicable, if persons of mixed nationalities travel in a vehicle.
- (6) In case of cancellation of entry permit, 50% of the ticket amount along with processing charge shall be deducted.
- (7) Drivers and guides/naturalists shall be counted in the numbers of passengers allowed in a vehicle.
- (8) It shall be compulsory to keep the identity proofs of all the visitors listed in the entry permit. Entry permit will be cancelled if the identities of the persons mentioned in it cannot be ascertained.
- (9) Duration of one round shall be fixed by the officer in-charge of the protected area.
- (10) Visitors are permitted to use their still or video cameras free of cost during such fixed round.
- (11) If a person pays full entry fee for a round by vehicle, he shall not be charged anything extra for visiting a specific spot such as Pachmarhi View Points in Satpura Tiger Reserve; Pandav and Raneh falls in Panna Tiger Reserve on foot or by a vehicle.
- (12) Routes to be kept open for tourism and maximum number of vehicles of various types to be permitted on these routes shall be decided by the officer in-charge of the protected area according to local circumstances.
- (13) If required, the officer in-charge of the protected area can specify any regions or routes closed for specified period for the persons entering the PA for the purposes mentioned under section 28 (1).
- (14) The officer in-charge of the protected area can decide about the standards of fitness of the vehicles that may be allowed in the protected area. He may restrict the entry of any category of vehicles.
- (15) The officer in-charge of the protected area can make the provision for registration of vehicle drivers and vehicles that are being used regularly to take visitors in the protected area. Entry fee for the un-registered vehicle or registered vehicle with un-registered driver shall be double the regular rate for the vehicle of similar capacity.
- (16) For those protected areas, where online ticket booking system is operational, the names of additional visitors can be added online or at the entry gate, on the previously booked tickets, if the space is available in the vehicle, on the condition that entry fee of Rs. 1200 for Indian Visitor and Rs. 2400 for foreign visitor shall be charged for each addition of new name. These rates will be 1.5 times and 2 times for the premium zones of Kanha Tiger Reserve and Bandhavgarh Tiger Reserve. During

the park visit, presence of the first visitor(s) is must, in whose name the ticket was initially booked. Entry permit cancelled online shall not be made available again for online booking and it shall be transferred at the gate for current booking.

- (17) Registered Overseas Citizens of India shall be charged the same entry fee as domestic Indian visitors to visit national parks and wildlife sanctuaries in India.

4. **Video/Filming/Picturing/Photography.**—(1) Permission for Video/Filming/picturing/photography in the core areas of the Tiger Reserves shall be given by the Field Director in the name of the cameraman for which fee shall be payable according to the following table:—

TABLE

Duration	Indian Educational/Research Institutes; Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh	Indians, Nationals and other Institutes of India	Foreign, Nationals and Institutes	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
First 7 days	Rs. 10000	Rs. 20000	Rs. 40000	Per cameraman per day
8th to 15th day	Rs. 7500	Rs. 15000	Rs. 30000	
16th day onwards.	Rs. 5000	Rs. 10000	Rs. 20000	

(2) Permission for Video/Filming/Picturing/Photography in other National Parks and Sanctuaries shall be given by the officer in-charge of that protected area for which 50 percent of the fee mentioned in above sub-rule 3 (1) shall be payable.

(3) These rates shall be applicable only if permission is asked for filming/photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists. This fee shall be payable in advance for the entire period of filming/photography. Place, time and conditions for Video/Filming/Picturing/photography based on local requirements will be decided by the officer in-charge of the protected area in consultation with Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. The fee shall be payable in advance for the entire duration of Video/Filming/Picturing/photography. This permission shall generally be issued for the open season and it can be in parts also. With the prior permission of Chief Wildlife Warden, permission for entry for the purpose of photography/filming for special reasons can be issued during the closed period also.

(4) Cameraman means a person in whose name the picturing/ photography/filming permission has been issued. At the most two persons can be permitted with him to assist him, but they will not have permission for photography/filming. This team of three persons will not be required to pay any entry fee separately.

(5) Permission for Video/Filming/Picturing/Photography in a National Park or Sanctuary shall ordinarily be given only for recording the natural beauty, wildlife or natural history of the area. However, the government may permit such work for any other reason under special circumstances, provided it does not adversely impact the ecology or wildlife of the area. Such permission shall be charged at special rates, which shall in no case be less than five times the rate prescribed under sub-rule (1) and (2) of rule 3 above, as the case may be.

(6) Permission for Video/Filming/Picturing/Photography of wildlife based films made by the forest department, or filmed through other persons or institutions that will be used for research, training, extension or conservation education purpose, can be given by the Chief Wildlife Warden for which no fee shall be charged. Copyright of all such films shall be reserved with the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

5. **Elephant Rides.**—(1) For Tourism: Only four persons shall be allowed to sit on an elephant, excluding Mahout. Children up to 5 years of age shall be allowed free, along with their parents/guardians. Rules and routes for elephant rides will be determined by the officer in-charge of the protected area. Duration of the elephant ride shall be one hour, for which fee per person fee will be payable as follows:

Indian Visitor :	Rs. 750/-
Foreign Visitor :	Rs. 1500/-

(2) **For Video/Filming/Picturing/Photography.**—On the demand of the cameraman, who has taken permission for Video/Filming/Picturing/Photography under sub-rule (3) of these rules, the elephant can be given for three hours, if available, on payment of following fee per elephant per three hours:

For Indian educational or research institutes and Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh	Rs. 6000/-
All others:	
Indian Visitor :	Rs. 12000/-
Foreign Visitor:	Rs. 24000/-

6. **Boating.**—(1) In all the protected areas, which have the potential for boating in their reservoirs/rivers/waterbodies, rules for boating and the rates for different types of boating activities shall be decided by the officer in-charge of the protected area in consultation with the Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh.

(2) Only in National Chambal Sanctuary, the fee of boating by motor boat per person per hour shall be payable as follows:

Indian Citizens:	Rs. 100/-
Foreign Nationals:	Rs. 200/-

7. **Local Guides and Naturalists.**—(1) All visitors entering the protected area for the purpose of tourism and photography/filming shall be accompanied compulsorily by a registered local guide or naturalist licensed by the Director/Field Director/Officer in-charge of a forest circle, or by any other officer authorized by the Chief wildlife Warden. A local guide shall either be a person who belongs to and is ordinarily resident in the district or districts in which the national park or the sanctuary is situated, or a retired forest official of the state of Madhya Pradesh. Guides of superior quality shall be designated as Naturalists. The categories, qualifications and remuneration of guides shall be as follows:

(2) **Minimum Qualifications for Guides and Naturalists.**—(i) **Naturalist Category N-1.**—Graduate, knowledge of English or French or German, identification of mammals, birds, flora, butterflies and snakes and knowledge of interesting facts about them, knowledge of the scientific basis for conservation of environment and forests, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Parks/Sanctuary, complete knowledge about the forests and wildlife of the area, general knowledge about local tribal culture, certificate of first aid and a minimum experience of 5 years as a guide.

(ii) **Naturalists Category N-2.**—Graduate, knowledge of English, French or German, knowledge of mammals and birds, identification of common trees, general knowledge about other groups of animal and plants and knowledge of interesting facts about them, knowledge of the scientific basis for conservation of environment and forests, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Park/Sanctuary, complete knowledge about

the forests and wildlife of the area, general knowledge about local tribal culture, certificate of First Aid and a minimum experience of 3 years as a guide.

(iii) **Guide Category G-1.**— Class 12th pass, working knowledge of English, identification of all mammals and common birds, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about forests of the National Park/Sanctuary, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Park/Sanctuary, certificate of first aid and a minimum experience of 3 years as a guide.

(iv) **Guide Category G-2.**—Knowledge of wildlife, knowledge of forest roads, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about the forests and wildlife of the area, knowledge of wildlife management, animal behaviour, habitat etc., knowledge of tourist rules, do's and don'ts, Eagerness to learn more about forests and wildlife.

(3) **Fees for Naturalists/Guides.**—Fee for hiring naturalist/guide shall be as follows:

Sr. No.	Category	Rate (Rupees)		
		Excursions in Vehicles (one round)	Trekking/Cycling (per day)	Camping (one day and two nights)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	N-1	Rs. 1000	Rs. 3000	Rs. 6000
2	N-2	Rs. 750	Rs. 1500	Rs. 3000
3	G-1	Rs. 400	Rs. 900	Rs. 1800
4	G-2	Rs. 300	Rs. 700	Rs. 1400
5	Porter	-	Rs. 400	Rs. 800

(4) Naturalists/Guides shall be paid at the rates for trekking/cycling when engaged for the whole day.

(5) **Fees for Naturalists/Guides engaged at special scenic spots.**—For places such as Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park etc., where the guides are engaged for a shorter duration, the respective protected manager shall fix the proportional rates based on local conditions.

8. Prohibited and Open Period for Tourism Year.—(1) Ordinarily there shall be no closed period for Van Vihar National Park, Madhav National Park, Fossil National Park Ghughwa, Dinosaur Fossil National Park, Ralamandal Sanctuary, Sailana Sanctuary, Sardarpur Sanctuary, Orchha Sanctuary, Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park, Tourist spots of Pachmarhi, Chidikhoh (Narsingharh Sanctuary), Bhimbathika, Barrusot and Delawadi in Ratapani Sanctuary. The period between 1st July and 15th October shall be the prohibited period for tourism or photography in other National Parks and Sanctuaries and the rest period of the tourism year shall be the open period for tourism and photography.

(2) Excursions by vehicles inside National Park/Sanctuary shall be permitted only between half an hour before sunrise and up to half an hour after sunset. Actual entry and exit times shall be decided by the officer in-charge of the protected area.

9. Special Fees.—The officer in-charge of a protected area shall have the power to impose special rates, for any sensitive or premium areas/routes/activities, through a written order, in order to regulate the impact on wildlife and environment resulting from the tourist traffic, after giving at least two month notice, in consultation with the Chief Wildlife Warden.

10. Sharing of Tourism Income with the Local Communities.—Since the tourism in and around tiger reserves and other protected areas is sustained primarily from the non-consumptive use of wildlife resources and the local communities are the ones that bear the cost of conservation in terms of lost incomes, cattle depredation by carnivores and crop damage by wild herbivores; one third of all tourism receipts deposited in the development fund of that protected area in a year shall be shared with the Eco Development Committees of that protected area.

11. Miscellaneous.—(1) Any other tourism service or activity, not mentioned in these rules, or has been mentioned but not yet started from the management point of view, can be started with the prior permission of the

Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. But this will not be done until the adverse impacts of such activities have been assessed and effective management system has been put in place to mitigate such adverse impacts.

(2) The Chief Wildlife Warden shall limit the number of vehicles entering a protected area, on the basis of its carrying capacity. In addition, he shall also decide the separate carrying capacities for other activities such as boating, trekking, camping, elephant ride, nature trail etc.

(3) The entry/excursion or the use of any route or place by any person or by all persons can be prohibited by the officer in-charge of the protected area under unavoidable circumstances from wildlife conservation or management point of view.

(4) Detailed guidelines for filming, boating, wildlife viewing by vehicles, elephant rides, trekking, nature trail, camping and use of watch tower/hides/machans etc. and any other activity which can be started in future, shall be issued by the Chief Wildlife Warden, which will form part of these rules.

(5) No conferences, gatherings, meetings etc. can be organized inside National Parks/Sanctuaries except under specific orders of the Government. This restriction shall not apply to the meetings of the Madhya Pradesh State Wildlife Advisory Board, meetings of Forest Officers of Madhya Pradesh, training programs or workshops for Forest Officers and trainees belonging to institutions imparting training in forest and wildlife conservation and management.

(6) Unauthorized display, sticking or pasting of advertisements, signboards, banners and charts etc. in any Protected Area shall be prohibited.

(7) No person shall destroy, damage or deface any writing or signs etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other article or place, in any Protected Area.

(8) The officer in-charge of the protected area can prohibit the use of mobile phones by visitors entering inside any Protected Area.

(9) Use of spot lights to see wildlife for the purposes of tourism and photography/filming is banned.

(10) (a) Competent forest officer can take legal action, as per Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and any other legal provisions, against any person who has entered the protected area for any purpose, and has violated any rule, regulation, conditions of entry permit or instructions given by the management, officer in-charge of the protected area can also ban his entry for the remaining period of his entry permit, either in part or in full.

(b) For any violation by the cameraman or his assistant of the photography/filming team, in addition to the legal action by the competent forest officer, their entry can be banned for the part or full period of the remaining permission period by the officer in-charge of the protected area.

(c) For any violation by the driver/boatman of the registered vehicle/boat and the naturalist/guide present in it, along with the legal action by the competent forest officer, their entry as well as the entry of their vehicle/boat for seven days in the case of first violation, for one month in the case of second violation and for the rest of the tourism year (1st July to 30th June next calendar year) in the case of third violation, in addition to other legal actions. Registered vehicles/boats and their driver/boatman and naturalist/guide who have been punished thrice during the previous two years, can be banned from entering the National Park or sanctuary for next two years by the officer in-charge of the protected area.

(d) Any habitual offender or a person involved in any gross misconduct or breach of rules can be barred from entering the National Park or sanctuary by the officer in-charge of the protected area.

(e) No action of barring the entry of a person under this sub-rule shall be taken unless a proper opportunity of hearing has been given to the affected person.

(11) The citizens of Nepal shall be treated at par with Indian citizens with regard to the determination of fees.

(12) All protected areas will remain closed for tourism and video/filming/picturing /photography on the Government. Holidays of Dipawali and Holi. Besides this, the other days on which protected areas will remain closed for tourism and video/filming/picturing /photography will be decided by the State Government."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप सिंह राजपूत, अपर सचिव.